



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272354
CG-DL-E-08052026-272354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/ वैशाख 17, 1948

No. 306]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/ VAISAKHA 17, 1948

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 06 मई, 2026

फा.सं.एचक्यू-16021/2/2021-ईयू-II-एचक्यू(ई-6538)—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः —

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन एवं अद्यतन) प्रथम संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- मूल विनियमों में, अनुसूची II के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः —

अनुसूची-II

[विनियम 10(2) और 19(4) देखें]

नामांकन एवं अद्यतन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची

सूची I - पांच वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के आधार नामांकन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्मतिथि के प्रमाण को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जा सकने वाले दस्तावेज
✓ का अर्थ स्वीकार्य और X का अर्थ अस्वीकार्य है

● नामांकन प्रकार I: परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्मतिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
1.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र	✓	✓
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट (केवल एनआरआई के लिए लागू)	✓	✓
3.	संबंधित अधिनियमों (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890/राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) और इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा जारी कानूनी संरक्षकता साक्ष्यित करने का दस्तावेज	✓	X

● नामांकन प्रकार II: दस्तावेज आधारित नामांकन

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ से युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	नाम और जन्मतिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
4.	A.1 जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी. सी. पी. ओ.) द्वारा यू. आई. डी. ए. आई. मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र के साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (यथा संशोधित 2022) के प्रपत्र 18 में बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) में बालक/बालिका के प्लेसमेंट करने का आदेश	✓	✓	X

प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों, दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) धारकों, नेपाल और भूटान नागरिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों, जो पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हों, के लिए लागू दस्तावेज़				
क्र.सं.	दस्तावेज़ों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ से युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज़	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज़	नाम और जन्मतिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज़
5.	प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट (ओसीआई कार्ड के साथ)	✓	X*	✓
6.	नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए— (क) नेपाल/भूटान का पासपोर्ट	✓	X*	✓
	(ख) नेपाली/भूटानी नागरिकता का वैध प्रमाणपत्र (भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र सहित)	✓	X*	✓
7.	दीर्घकालिक वीजा धारकों के लिए - अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों) को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी)	✓	✓*	✓
8.	अन्य विदेशी नागरिकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट (वैध वीजा के साथ)	✓	X*	✓
9.	विदेशी नागरिकों (विदेशी नागरिकों की विशेष श्रेणी के लिए जिनके पास पासपोर्ट नहीं है) को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट	✓	✓*	✓

* “सूची III – 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्मतिथि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़” में वर्णित पते के प्रमाण (पीओए) के दस्तावेज़ के रूप में भी लागू होंगे।

नोट:

(क) उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज़ केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामतः —

- (i) यह वर्तमान में वैध है;
- (ii) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज़ जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (iii) दस्तावेज़ में अंतर्विष्ट सूचना स्रोत से सत्यापन योग्य है; और

- (iv) दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी ने यह घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज़ पहचान, पते, जन्म तिथि या रिश्ते का प्रमाण नहीं है जिसके लिए ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकार्यता के मानदंडः
- (i) किसी दस्तावेज को पहचान प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसमें व्यक्ति का नाम और फोटोग्राफ है।
- (ii) नामांकन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पीओआई, पीओए, पीओआर और पीडीबी दस्तावेज नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के नाम पर जारी होना आवश्यक है।
- (iii) किसी दस्तावेज को संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज के रूप में केवल तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसमें परिवार के मुखिया (एचओएफ) और व्यक्ति का नाम है।
- (iv) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। नाम में शामिल करने के लिए किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) पीओआई, पीओआर और पीडीबी के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों में व्यक्ति के नाम और जन्मतिथि में समानता होनी चाहिए।
- (ग) बाल देखभाल संस्थान और विदेशी नागरिकों को छोड़कर पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है।
- (घ) परिवार का मुखिया और संबंध का प्रमाण आधारित नामांकन के लिए मानदंडः
- (i) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना आवश्यक है।
- (ii) माता-पिता में से कोई एक या कानूनी संरक्षक, परिवार का मुखिया (एचओएफ) बन सकता है।
- (iii) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है। यदि बालक/बालिका माता-पिता में से केवल एक या कानूनी संरक्षक के साथ रह रहा है, तो माता-पिता में से केवल एक का या कानूनी संरक्षक का आधार दिया जा सकता है।
- (iv) माता-पिता में से किसी एक या कानूनी संरक्षक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- (v) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में पते के लिए किया जाएगा।
- (ङ) ओसीआई कार्डधारकों, नेपाल और भूटान नागरिकों, एलटीवी धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को जारी आधार की वैधता अवधि नीचे विनिर्दिष्ट हैः
- (i) ओसीआई कार्डधारक— दस साल
- (ii) नेपाल/भूटान नागरिक — दस साल
- (iii) एलटीवी धारक — एलटीवी की वैधता तक
- (iv) अन्य विदेशी नागरिक — वीजा/एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (जैसा लागू हो) की वैधता तक

सूची II - पांच वर्ष तक की आयु और उससे अधिक तथा अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के आधार के नामांकन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्म तिथि को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जा सकने वाले दस्तावेज
✓ का अर्थ स्वीकार्य और X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्मतिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
1.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र	X	X	✓	✓
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓
3.	राज्य सरकार द्वारा अधिवास प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	X
4.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अनुसूचित जाति (एससी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	X
5.	संबंधित अधिनियमों (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890/राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) और इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा जारी कानूनी संरक्षकता साक्ष्यित करने के दस्तावेज	X	X	✓	X

6.	A.2 जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी. सी. पी. ओ.) द्वारा यू. आई. डी. ए. आई. मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र के साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (यथा संशोधित 2022) के प्रपत्र 18 में बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) में बालक/बालिका के प्लेसमेंट करने का आदेश	✓	✓	X	X
7.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और उससे तहत बनाए नियमों के अंतर्गत जारी तृतीय लिंग/ उभयलिंगी पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	✓
प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों, दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) धारकों, नेपाल और भूटान नागरिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों, जो पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हों, के लिए लागू दस्तावेज़					
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	नाम और जन्मतिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज	
8.	प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट (ओसीआई कार्ड के साथ)	✓	X*	✓	
9.	नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए— (क) नेपाल/भूटान का पासपोर्ट	✓	X*	✓	

	(ख) नेपाली/भूटानी नागरिकता का वैध प्रमाणपत्र (भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र सहित)	✓	X*	✓
10.	दीर्घकालिक वीजा धारकों के लिए - अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों) को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी)	✓	✓*	✓
11.	अन्य विदेशी नागरिकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट (वैध वीजा के साथ)	✓	X*	✓
12.	विदेशी नागरिकों (विदेशी नागरिकों की विशेष श्रेणी के लिए जिनके पास पासपोर्ट नहीं है) को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट	✓	✓*	✓

* "सूची III - 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर नामांकन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्मतिथि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज" में वर्णित पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेज के रूप में भी लागू होंगे।

नोट:

- (क) उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामतः—
- यह वर्तमान में वैध है;
 - जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
 - दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना स्रोत से सत्यापन योग्य है; और
 - दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी ने यह घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज पहचान, पते, जन्म तिथि या रिश्ते का प्रमाण नहीं है जिसके लिए ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ख) पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकार्यता के मानदंड:

- (i) किसी दस्तावेज को पहचान प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसमें व्यक्ति का नाम और फोटोग्राफ है।
- (ii) नामांकन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पीओआई, पीओए, पीओआर और पीडीबी दस्तावेज नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के नाम पर जारी होना आवश्यक है।
- (iii) किसी दस्तावेज के संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज के रूप में केवल तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसमें परिवार के मुखिया (एचओएफ) और व्यक्ति का नाम है।
- (iv) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। नाम में शामिल करने के लिए किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) पीओआई, पीओआर और पीडीबी के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों में व्यक्ति के नाम और जन्मतिथि में समानता होनी चाहिए।

(ग) परिवार का मुखिया और संबंध का प्रमाण आधारित नामांकन के लिए मानदंड:

- (i) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना आवश्यक है।
 - (ii) माता-पिता में से कोई एक या कानूनी संरक्षक परिवार का मुखिया (एचओएफ) बन सकता है।
 - (iii) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है। यदि बालक/बालिका माता-पिता में से केवल एक या कानूनी संरक्षक के साथ रह रहा है, तो माता-पिता में से केवल एक का या कानूनी संरक्षक का आधार दिया जा सकता है।
 - (iv) माता-पिता में से किसी एक या कानूनी संरक्षक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
 - (v) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में पते के लिए किया जाएगा।
- (घ) 5 वर्ष और उससे अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के माध्यम से नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, यदि एचओएफ या संबंध प्रमाण दस्तावेज उपलब्ध न होने पर, ऐसे व्यक्ति पीओआई, पीओए और पीडीबी दस्तावेजों का उपयोग करके दस्तावेज आधारित नामांकन के जरिए नामांकन कर सकते हैं।

(ङ) ओसीआई कार्डधारकों, नेपाल और भूटान नागरिकों, एलटीवी धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को जारी आधार की वैधता अवधि नीचे विनिर्दिष्ट है:

- (i) ओसीआई कार्डधारक— दस साल
- (ii) नेपाल/भूटान नागरिक – दस साल
- (iii) एलटीवी धारक – एलटीवी की वैधता तक
- (iv) अन्य विदेशी नागरिक – वीजा/एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (जैसा लागू हो) की वैधता तक

सूची III - अठारह वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के आधार के नामांकन के लिए पहचान, पता, संबंध या जन्मतिथि प्रमाण को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत किए जा सकने वाले दस्तावेज
✓ का अर्थ स्वीकार्य और X का अर्थ अस्वीकार्य है

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	नाम और जन्मतिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓

2.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ई-राशन कार्ड	✓	✓	X
3.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है	✓	✓	X
4.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X
5.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/ नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	✓	✓
6.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू /नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र/ स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र /पेंशन भुगतान आदेश	✓	✓	✓
7.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ ईसीएचएस/ ईएसआईसी/ मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X
8.	यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत आश्रय गृह के प्रमुख और जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी. एस. डब्ल्यू. ओ.)/ जिले में अक्षमता से संबंधित मामलों के लिए समकक्ष अधिकृत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित और मुहर सहित प्रमाण पत्र	✓	✓	X
9.	राज्य सरकार द्वारा जारी मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड और अधिवास प्रमाणपत्र	✓	✓	X

10.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अनुसूचित जाति (एससी)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र	✓	✓	X
11.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद् विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाणपत्र	✓	X	✓
12.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी तृतीय लिंग/उभयलिंगी पहचान कार्ड/ प्रमाणपत्र	✓	✓	✓
13.	यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर निम्नलिखित द्वारा जारी प्रमाणपत्र :			
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद्	X	✓	X
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'क'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	X	✓	X
	(iii) तहसीलदार/राजपत्रित अधिकारी समूह 'ख'	X	✓	X
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी/ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामिती (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में)	✓	✓	X

	(v) मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान, (केवल संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर, केवल संस्थान से संबंधित विद्यार्थियों के लिए)	X	✓	X
	(vi) ग्राम पंचायत प्रमुख/ प्रधान या मुखिया/ गांव बुरा/ समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)/ ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✓	X
14.	बिजली का बिल (प्री-पेड/पोस्ट-पेड बिल, 3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X
15.	पानी का बिल (3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X
16.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्ट-पेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X
17.	वैध विक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख, या पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया, पट्टा करार या अवकाश और लाइसेंस करार	X	✓	X
18.	गैस का बिल (3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X
19.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (1 वर्ष से पुराना न हो)	X	✓	X
20.	जीवन या चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य)	X	✓	X

21.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र	X	X	✓	
22.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेशन दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	X	
परिवार के मुखिया के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के नामांकन हेतु दस्तावेज़ जिनके संबंध में कानूनी संरक्षक नियुक्त किया गया है					
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्मतिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
23.	संबंधित अधिनियमों (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890/राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) और इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा जारी कानूनी संरक्षकता साक्ष्यित करने के लिए दस्तावेज	X	X	✓	X
प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों, दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) धारकों, नेपाल और भूटान नागरिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों, जो पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हों, के लिए लागू दस्तावेज़					
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	नाम और जन्मतिथि से युक्त जन्मतिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज	
24.	प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट (ओसीआई कार्ड के साथ)	✓	X*	✓	

25.	<p>नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए—</p> <p>(क) नेपाल/भूटान का पासपोर्ट</p> <p>(ख) एक जैसे पते वाले निम्नलिखित में से किन्हीं दो दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है:</p> <p>(i) नेपाली/भूटानी नागरिकता का वैध प्रमाणपत्र (केवल जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार्य)</p> <p>(ii) नेपाल/भूटान के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान कार्ड (जन्मतिथि प्रमाण के रूप में अस्वीकार्य)</p> <p>(iii) भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र (जन्मतिथि प्रमाण के रूप में अस्वीकार्य)</p>	✓	X*	✓
26.	<p>दीर्घकालिक वीजा धारकों के लिए - अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों) को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी)</p>	✓	✓*	✓
27.	<p>अन्य विदेशी नागरिकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट (वैध वीजा के साथ)</p>	✓	X*	✓

28.	विदेशी नागरिकों (विदेशी नागरिकों की विशेष श्रेणी के लिए, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है) को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट	✓	✓*	✓
-----	--	---	----	---

* उपरोक्त सूची में पते के प्रमाण के रूप में वर्णित दस्तावेज भी लागू होंगे।

नोट:

(क) उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामतः—

- (i) यह वर्तमान में वैध है;
- (ii) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (iii) दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना स्रोत से सत्यापन योग्य है; और
- (iv) दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी ने यह घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज पहचान, पते, जन्म तिथि या रिश्ते का प्रमाण नहीं है जिसके लिए ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ख) पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकार्यता के मानदंड:

- (i) किसी दस्तावेज को पहचान प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसमें व्यक्ति का नाम और फोटोग्राफ है।
- (ii) नामांकन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पीओआई, पीओए, पीओआर और पीडीबी दस्तावेज नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के नाम पर जारी होना आवश्यक है।
- (iii) किसी दस्तावेज को संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज के रूप में केवल तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसमें परिवार के मुखिया (एचओएफ) और व्यक्ति का नाम है।
- (iv) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। नाम में शामिल करने के लिए किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) पीओआई, पीओआर और पीडीबी के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों में व्यक्ति के नाम और जन्मतिथि में समानता होनी चाहिए।

(ग) ओसीआई कार्डधारकों, नेपाल और भूटान नागरिकों, एलटीवी धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को जारी आधार की वैधता अवधि नीचे विनिर्दिष्ट है:

- (i) ओसीआई कार्डधारक— दस साल
- (ii) नेपाल/भूटान नागरिक — दस साल
- (iii) एलटीवी धारक — एलटीवी की वैधता तक

(iv) अन्य विदेशी नागरिक - वीजा/एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट (जैसा भी लागू हो) की वैधता तक

सूची IV - किसी भी आयु के आधार नंबर धारक से संबंधित सूचना के अद्यतन हेतु पहचान, पता, संबंध या जन्मतिथि प्रमाण को साक्षित करने के लिए प्रस्तुत किए जा सकने वाले दस्तावेज					
✓ का अर्थ स्वीकार्य और X का अर्थ अस्वीकार्य है					
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ से युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓ #
2.	राशन / पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	X
3.	मतदाता पहचान पत्र/ ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्योरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है	✓	✓	X	X
4.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	X
5.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू/ नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	✓	X	✓ #
6.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू/ नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र/ स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	✓	✓	✓ #
7.	किसान फोटो पासबुक	✓	✓	X	X
8.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू/ द्वारा जारी सीजीएचएस/ ईसीएचएस/ ईएसआईसी/ मेडी- क्लेम कार्ड	✓	X	X	X

9.	यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत आश्रय गृह के प्रमुख और जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी. एस. डब्ल्यू. ओ.)/ जिले में अक्षमता से संबंधित मामलों के लिए समकक्ष अधिकृत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित और मुहर सहित प्रमाण पत्र	✓	✓	X	X
10.	राज्य सरकार द्वारा जारी मनरेगा/नरेगा जाँब कार्ड और अधिवास प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	X
11.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त/ बिना फोटो का विवाह प्रमाणपत्र (बिना फोटोग्राफ के विवाह प्रमाणपत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम के साथ फोटोग्राफ सहित पीओआई दस्तावेज अनिवार्य है)	✓	✓	✓	X
12.	परिवार न्यायालय द्वारा जारी तलाक का आदेश (बिना फोटोग्राफ के तलाक का आदेश होने की स्थिति में, पुराने नाम के साथ फोटोग्राफ सहित पीओआई दस्तावेज अनिवार्य है)	✓	X	X	X
13.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अनुसूचित जाति (एससी)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र	✓	✓	✓	X
14.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाणपत्र	✓	X	✓	✓ #
15.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या राज्य सहकारी बैंक द्वारा जारी नाम और फोटोयुक्त (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) पासबुक तथा डाकघर की बचत खाता पासबुक/ बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित)	X	✓	X	X

16.	बैंक खाता विवरण / क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टैम्प सहित)/ डाकघर बचत खाता विवरण (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X	X
17.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी तृतीय लिंग/ उभयलिंगी पहचान कार्ड/ प्रमाणपत्र (लिंग और पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए भी स्वीकार्य)	✓	✓	✓	✓ #
18.	प्रथम नाम या नाम में पूर्ण परिवर्तन के लिए: राजपत्र अधिसूचना	✓	X	X	X
19.	यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर निम्नलिखित द्वारा जारी प्रमाणपत्र:				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	X	✓	X	X
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'क'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारी	X	✓	X	X
	(iii) तहसीलदार/ राजपत्रित अधिकारी समूह 'ख'	X	✓	X	X
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)/ राज्य स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी/ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामिती (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में)	✓	✓	X	X

	A.3 (v) जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी. सी. पी. ओ.) द्वारा यू. आई. डी. ए. आई. मानक प्रमाणपत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र के साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (यथा संशोधित 2022) के प्रपत्र 18 में बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) में बालक/बालिका के प्लेसमेंट करने का आदेश	✓	✓	X	X
	(vi) मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान (संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित, केवल संबंधित संस्थान के विद्यार्थियों के लिए)	X	✓	X	X
	(vii) ग्राम पंचायत प्रमुख/ प्रधान या मुखिया/ गांव बुरा/ समकक्ष प्राधिकारी (केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✓	X	X
20.	बिजली का बिल (प्री-पेड/पोस्ट-पेड बिल, 3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X	X
21.	पानी का बिल (3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X	X
22.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्ट-पेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X	X
23.	संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से पुरानी न हो)	X	✓	X	X
24.	वैध बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख, या पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया, पट्टा करार या अवकाश और लाइसेंस करार	X	✓	X	X
25.	गैस बिल (3 महीने से पुराना न हो)	X	✓	X	X

26.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू/ नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (1 वर्ष से पुराना न हो)	X	✓	X	X
27.	जीवन या चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	X	✓	X	X
28.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र	X	X	✓	✓ #
29.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेशन दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	X	X
30.	परिवार के नजदीकी सदस्य द्वारा यह प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा कि वह व्यक्ति संबंधी के साथ उसी पते पर रह रहा है। (केवल परिवार के आसन्न सदस्य के पते के अद्यतन के संबंध में उपयोग हेतु)	X	X	✓	X
31.	संबंधित अधिनियमों (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890/राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) और इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा जारी कानूनी संरक्षकता साक्ष्यित करने के लिए दस्तावेज	X	X	✓	X
प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों, दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) धारकों, नेपाल और भूटान के नागरिकों तथा अन्य विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज़					

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटोग्राफ से युक्त पहचान का प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) दस्तावेज
32.	प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट (ओसीआई कार्ड के साथ)	✓	X*	X	✓#
33.	नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए— (क) नेपाल/भूटान का पासपोर्ट	✓	X*	X	✓#
	(ख) एक जैसे पते वाले निम्नलिखित में से किन्हीं दो दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है: (i) नेपाली/भूटानी नागरिकता का वैध प्रमाणपत्र (केवल जन्मतिथि प्रमाण के रूप में भी स्वीकार्य) (ii) नेपाल/भूटान के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान कार्ड (जन्मतिथि प्रमाण के रूप में अस्वीकार्य) (iii) भारत में नेपाली मिशन/राॅयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र (जन्मतिथि प्रमाण के रूप में अस्वीकार्य)	✓	X*	X	✓#
34.	दीर्घकालिक वीजा धारकों के लिए - अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों) को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी)	✓	✓*	X	✓#
35.	अन्य विदेशी नागरिकों के लिए - वैध विदेशी पासपोर्ट (वैध वीजा के साथ)	✓	X*	X	✓#

36.	विदेशी नागरिकों (विदेशी नागरिकों की विशेष श्रेणी के लिए जिनके पास पासपोर्ट नहीं है) को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट	✓	✓*	X	✓#
-----	---	---	----	---	----

* उपरोक्त सूची में पते के प्रमाण के रूप में वर्णित दस्तावेज भी लागू होंगे।

नोट:

(क) उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामतः—

- (i) यह वर्तमान में वैध है;
- (ii) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (iii) दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना स्रोत से सत्यापन योग्य है; और
- (iv) दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी ने यह घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज पहचान, पते, जन्म तिथि या रिश्ते का प्रमाण नहीं है जिसके लिए ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ख) पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकार्यता के मानदंड:

- (i) किसी दस्तावेज को पहचान प्रमाण (पीओआई) दस्तावेज के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसमें उस व्यक्ति का नाम और फोटोग्राफ है।
- (ii) किसी दस्तावेज को संबंध के प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज के रूप में केवल तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसमें परिवार के मुखिया (एचओएफ) और व्यक्ति का नाम है।
- (iii) नामांकन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पीओआई, पीओए, पीओआर और पीडीबी दस्तावेज नामांकन चाहने वाले व्यक्ति के नाम पर जारी होना आवश्यक है।
- (iv) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। नाम में शामिल करने के लिए किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) पीओआई, पीओआर और पीडीबी के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों में व्यक्ति के नाम और जन्मतिथि में समानता होनी चाहिए।

(ग) परिवार का मुखिया और संबंध का प्रमाण आधारित अद्यतन के लिए मानदंड:

- (i) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना आवश्यक है।
- (ii) माता-पिता में से कोई एक या कानूनी संरक्षक, परिवार का मुखिया (एचओएफ) बन सकता है।
- (iii) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है। यदि बालक/बालिका माता-पिता में से केवल एक या कानूनी संरक्षक के साथ रह रहा है, तो माता-पिता में से केवल एक का या कानूनी संरक्षक का आधार दिया जा सकता है।
- (iv) माता-पिता में से किसी एक या कानूनी संरक्षक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

- (v) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग व्यक्ति के आधार में पते के लिए किया जाएगा।
- (घ) #आधार में जन्मतिथि अद्यतन करने के लिए अनुरोध, निम्नलिखित प्रकार से स्वीकार किया जाएगा:
- (i) यदि जन्मतिथि घोषित या अनुमानित रूप में दर्ज की गई है:
- क. 18 वर्ष से कम आयु के निवासी भारतीयों के लिए: - आधार नंबर धारक को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- ख. 18 वर्ष से कम आयु के अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए: - आधार नंबर धारक को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाणपत्र या भारतीय पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- ग. 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए: - आधार नंबर धारक को उपरोक्त सूची में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) यदि आधार नंबर धारक ने पहले जन्मतिथि प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, तो आधार नंबर धारक को उसी जन्म पंजीकरण नंबर (बीआरएन) वाला संशोधित जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि आधार नंबर धारक ने पहले जन्म प्रमाणपत्र को छोड़कर जन्मतिथि प्रमाण के रूप में कोई और दस्तावेज (जैसे मार्कशीट, पासपोर्ट आदि) प्रस्तुत किया था, तो आधार नंबर धारक को उसी दस्तावेज का संशोधित संस्करण या जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) विवाह के पश्चात अपने नाम में परिवर्तन कर चुकी महिला की जन्मतिथि का अद्यतन करने के मामले में, विवाह से पूर्व जारी किए गए जन्मतिथि प्रमाण दस्तावेजों को, नाम परिवर्तन के साक्ष्य (उदाहरणार्थ पुराने नाम के साथ आधार या दोनों नाम के साथ विवाह प्रमाणपत्र या कोई अन्य स्वीकार्य पीओआई दस्तावेज) के साथ स्वीकार किया जाएगा।
- (v) आधार में जन्मतिथि अद्यतन करने का अनुरोध केवल इस संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार ही किया जाएगा[②]।
- (ङ) विनियम 19(3) में निर्धारित सीमा से परे आधार में नाम और लिंग अद्यतन के लिए अनुरोध करना, ऐसी सूचना का अद्यतन केवल नीचे दी गई विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:
- (i) नाम - [§]
- (ii) लिंग - [§]
- (च) बालक/बालिका (0-18 वर्ष) जिनके आधार में नाम "बेबी ऑफ..." है, के मामले में, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अधीन बनाए नियमों के तहत अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, पूर्ण नाम के प्रथम अद्यतन अनुरोध पर विचार किया जाएगा।
- (छ) परिवार के मुखिया (एचओएफ) के आधार पर नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) के नाम में मामूली अद्यतन (जैसे उपनाम में जोड़ना/हटाना/परिवर्तन, ध्वन्यात्मकता के कारण वर्तनी में परिवर्तन, विस्तार/ संक्षिप्ति, बशर्ते प्राथमिक नाम अपरिवर्तित रहे) पर संशोधित नाम वाले "जन्म प्रमाणपत्र" या "कानूनी संरक्षकता साक्ष्यित करने के दस्तावेज" के आधार पर विचार किया जाएगा।
- (ज) व्यक्ति के नाम पर पीओए दस्तावेज न होने की स्थिति में, परिवार के मुखिया (एचओएफ) के आधार पर पता अद्यतन का उपयोग किया जा सकता है।

राहुल कुमार, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./74/2026-27]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 14 सितंबर, 2016 को, अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 2), दिनांक 12 सितंबर, 2016 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन दिनांक 25 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या एचक्यू-16021/2/2021-ईयू-II-एचक्यू (ई-6538) दिनांक 25 नवंबर, 2025 को प्रकाशित किया गया।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 06th May, 2026

F. No. HQ-16021/2/2021-EU-II-HQ (E-6538).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) First Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, for Schedule II, the following schedule shall be substituted, namely:

SCHEDULE II

[see regulations 10(2) and 19(4)]

Lists of Acceptable Documents for Enrolment and Update

List I - Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for enrolment for Aadhaar of individual up to five years of age				
✓ means allowed and X means not allowed.				
● Enrolment Type I: Head of the Family (HoF) based enrolment				
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Relationship (PoR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth	
1.	Birth certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and the rules made thereunder	✓	✓	
2.	Valid Indian Passport (only applicable for NRIs)	✓	✓	
3.	Document to prove legal guardianship issued by the Central government or a State Government authority or a court of law under the relevant Acts (the Guardians and Wards Act, 1890 / the National Trust Act, 1999 / the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) and the rules made under these Acts	✓	X	
● Enrolment Type II: Document based enrolment				
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth
4.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by District Child Protection Officer (DCPO) along with the order of placement of child in a Child Care Institution (CCI) in Form 18 of the Juvenile Justice Model Rules, 2016 (as amended in 2022)	✓	✓	X

Documents applicable for Overseas Citizen of India (OCI) cardholders, Long Term Visa (LTV) holders, nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months				
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth
5.	For Overseas Citizen of India (OCI) cardholders - Valid foreign passport (along with OCI card)	✓	X*	✓
6.	For nationals of Nepal and Bhutan – (a) Passport of Nepal/Bhutan	✓	X*	✓
	(b) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (along with Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission / Royal Bhutanese Mission in India)	✓	X*	✓
7.	For Long Term Visa holders - Valid Long Term Visa (LTV), issued to minority communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	✓*	✓
8.	For other foreign nationals - Valid foreign passport (along with valid visa)	✓	X*	✓
9.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by Foreigners Regional Registration Office (FRRO) /Foreigners Registration Office (FRO) to the foreign nationals (for special category of foreign nationals not having passport)	✓	✓*	✓

* Proof of Address documents as in the “List III - Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for enrolment for Aadhaar Number of individual eighteen years and above of age” will also be applicable.

Note:

- (a) Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—
 - (i) It is currently valid;
 - (ii) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
 - (iii) The information contained in the document is verifiable from the source; and
 - (iv) The authority issuing the document has not made any declaration that such document is not a proof of identity, address, date of birth or relationship for which such a document is presented.
- (b) Criteria for acceptability of the documents submitted to evidence identity, address, date of birth and relationship:
 - (i) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains at least the name and photograph of the individual.
 - (ii) PoI, PoA, PoR and PDB documents submitted for enrolment must be issued in the name of the individual seeking enrolment.
 - (iii) A document is accepted as Proof of Relationship (PoR) document only if it contains at least the name of individual and name of Head of Family (HoF).
 - (iv) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual’s Aadhaar. No additional information will be considered for inclusion in the name.
 - (v) Name and date of birth of the individual across all the documents submitted as PoI, PoR and PDB must be uniform.

- (c) Head of Family (HoF) based enrolment is mandatory for children below five years of age except for children in Child Care Institutions and foreign nationals.
- (d) Criteria for Head of Family and Proof of Relationship based enrolment:
- HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment.
 - Any one of the parents or the legal guardian can be HoF.
 - Aadhaar number of both the parents is required for HoF based enrolment. In case the child is living with only one parent or living with a legal guardian, the Aadhaar number of only such parent or legal guardian may be given.
 - Biometric authentication by one of the parents or the legal guardian is mandatory.
 - The address mentioned in the Aadhaar of HoF will be used for the address in the Aadhaar of the child.
- (e) Validity period of the Aadhaar issued to the OCI cardholders, Nepal & Bhutan nationals, LTV holders and other foreign nationals is specified below:
- OCI cardholders - ten years.
 - Nepal/Bhutan nationals - ten years.
 - LTV holders - till the validity of LTV.
 - Other foreign nationals - till the validity of visa / Registration Certificate or Residential permit issued by FRRO/FRO (as applicable).

List II - Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for enrolment for Aadhaar of individual five years and above and less than eighteen years of age

✓ means allowed and X means not allowed.

Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Relationship (PoR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth
1.	Birth certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and the rules made thereunder	X	X	✓	✓
2.	Valid Indian Passport	✓	✓	✓	✓
3.	Domicile Certificate issued by State Government	✓	✓	✓	X
4.	Scheduled Tribe (ST) / Scheduled Caste (SC) / Other Backward Caste (OBC) Certificate issued by Central Government / State Government	✓	✓	✓	X
5.	Document to prove legal guardianship issued by the Central government or a State Government authority or a court of law under the relevant Acts (the Guardians and Wards Act, 1890 / the National Trust Act, 1999 / the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) and the rules made under these Acts	X	X	✓	X

6.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by District Child Protection Officer (DCPO) along with order of placement of child in Child Care Institution (CCI) in Form 18 of the Juvenile Justice Model Rules, 2016 (as amended in 2022)	✓	✓	X	X
7.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 and rules made thereunder	✓	✓	✓	✓
Documents applicable for Overseas Citizen of India (OCI) cardholders, Long Term Visa (LTV) holders, nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months					
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth	
8.	For OCI cardholders - Valid foreign passport (along with OCI card)	✓	X*	✓	
9.	For nationals of Nepal and Bhutan – (a) Passport of Nepal/Bhutan	✓	X*	✓	
	(b) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (along with Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/ Royal Bhutanese Mission in India)	✓	X*	✓	
10.	For Long Term Visa holders - Valid Long Term Visa (LTV) document, issued to minority communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	✓*	✓	
11.	For other foreign nationals - Valid foreign passport (along with valid visa)	✓	X*	✓	
12.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by Foreigners Regional Registration Office (FRRO) /Foreigners Registration Office (FRO) to the foreign nationals (for special category of foreign nationals not having passport)	✓	✓*	✓	

* Proof of Address documents as in the “List III - Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for enrolment for Aadhaar Number of individual eighteen years and above of age” will also be applicable.

Note:

- (a) Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—
- It is currently valid
 - The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
 - The information contained in the document is verifiable from the source; and
 - The authority issuing the document has not made any declaration that such document is not a proof of identity, address, date of birth or relationship for which such a document is presented.
- (b) Criteria for acceptability of the documents submitted to evidence identity, address, date of birth and relationship:
- A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains at least the name and photograph of the individual.
 - PoI, PoA, PoR and PDB documents submitted for enrolment must be issued in the name of the individual seeking enrolment.
 - A document is accepted as Proof of Relationship (PoR) document only if it contains at least the name of individual and name of Head of Family (HoF).
 - Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information will be considered for inclusion in the name.
 - Name and date of birth of the individual across all the documents submitted as PoI, PoR and PDB must be uniform.
- (c) Criteria for Head of Family and Proof of Relationship based enrolment:
- HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment.
 - Any one of the parents or the legal guardian can be HoF.
 - Aadhaar number of both the parents is required for HoF based enrolment. In case the child is living with only one parent or living with a legal guardian, the Aadhaar number of only such parent or legal guardian may be given.
 - Biometric authentication by one of the parents or the legal guardian is mandatory.
 - The address mentioned in the Aadhaar of HoF will be used for the address in the Aadhaar of the child.
- (d) Individuals aged 5 years and above and less than 18 years of age are encouraged to enrol through Head of Family based enrolment. However, if HoF or Proof of Relationship document is not available, such individual may enrol through document-based enrolment using PoI, PoA and PDB documents.
- (e) Validity period of the Aadhaar issued to the OCI cardholders, Nepal & Bhutan nationals, LTV holders and other foreign nationals is specified below:
- OCI cardholders - ten years.
 - Nepal/Bhutan nationals - ten years.
 - LTV holders - till the validity of LTV.
 - Other foreign nationals - till the validity of visa / Registration Certificate or Residential permit issued by FRRO/FRO (as applicable).

List III - Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for enrolment for Aadhaar Number of individual eighteen years and above of age

✓ means allowed and X means not allowed

Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth
1.	Valid Indian Passport	✓	✓	✓

2.	Ration /PDS Photograph Card/e-Ration Card	✓	✓	X
3.	Voter Identity Card /e-Voter Identity Card whose details are displayed online on the website of the Election Commission of India or the Chief Electoral Officer concerned	✓	✓	X
4.	Driving licence	✓	X	X
5.	Service Photo Identity Card issued by Central Government/ State Government/ PSU/ regulatory body / statutory body	✓	✓	✓
6.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body	✓	✓	✓
7.	CGHS/ ECHS/ ESIC/ Medi-Claim Card issued by Central Government/ State Government/ PSU	✓	X	X
8.	Certificate as per the UIDAI prescribed format, jointly signed and stamped by the Head of Shelter Home registered under RPwD Act, 2016 and the District Social Welfare Officer (DSWO) / Authorized Officer of equivalent rank for disability related matters in the district	✓	✓	X
9.	MGNREGA/NREGS Job Card and Domicile Certificate issued by State Government	✓	✓	X
10.	Scheduled Tribe (ST)/ Scheduled Caste (SC)/Other Backward Caste (OBC) Certificate issued by Central Government/ State Government	✓	✓	X
11.	Mark-sheet/Certificate issued by recognised Board of Education or university or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	✓	X	✓
12.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 and rules made thereunder	✓	✓	✓
13.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:			
	(i) MP/ MLA/ MLC/ Municipal Councillor	X	✓	X
	(ii) Gazetted Officer Group 'A'/Employees Provident Fund Organisation (EPFO) Officer	X	✓	X
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group 'B'	X	✓	X
	(iv) Gazetted Officer at National AIDS Control Organisation (NACO) / State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)	✓	✓	X
	(v) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned)	X	✓	X

	(vi) Village Panchayat Head/ President or Mukhiya/ Gaon Bura/ equivalent authority (for rural areas)/ Village Panchayat Secretary/ Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	X	✓	X	
14.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	X	✓	X	
15.	Water bill (not older than 3 months)	X	✓	X	
16.	Telephone landline bill/ post-paid mobile bill/ broadband bill (not older than 3 months)	X	✓	X	
17.	Valid sale agreement/ gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	X	✓	X	
18.	Gas bill (not older than 3 months)	X	✓	X	
19.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	X	✓	X	
20.	Life or medical insurance policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	X	✓	X	
21.	Birth certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and the rules made thereunder	X	X	✓	
22.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer with signature and seal	✓	✓	X	
Document for Head of Family based enrolment of persons in respect of whom a legal guardian has been appointed					
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Relationship (PoR) document, containing name of individual and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth
23.	Document to prove legal guardianship issued by the Central government or a State Government authority or a court of law under the relevant Acts (the Guardians and Wards Act, 1890 / the National Trust Act, 1999 / the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) and the rules made under these Acts	X	X	✓	X
Documents applicable for Overseas Citizen of India (OCI) cardholders, Long Term Visa (LTV) holders, nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months					
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth	
24.	For OCI cardholders - Valid foreign passport (along with OCI card)	✓	X*	✓	

25.	For nationals of Nepal and Bhutan – (a) Passport of Nepal/Bhutan	✓	X*	✓
	(b) Any two of the following documents having the same address may be submitted: (i) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (acceptable as proof of date of birth also) (ii) Valid Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal/ Bhutan (not acceptable as proof of date of birth) (iii) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/ Royal Bhutanese Mission in India (not acceptable as proof of date of birth)	✓	X*	✓
26.	For Long Term Visa holders - Valid Long Term Visa (LTV), issued to minority communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	✓*	✓
27.	For other foreign nationals - Valid foreign passport (along with valid visa)	✓	X*	✓
28.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by Foreigners Regional Registration Office (FRRO) /Foreigners Registration Office (FRO) to the foreign nationals (for special category of foreign nationals not having passport)	✓	✓*	✓

* Proof of Address documents as in the above list will also be applicable.

Note:

- (a) Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—
- (i) It is currently valid
 - (ii) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
 - (iii) The information contained in the document is verifiable from the source; and
 - (iv) The authority issuing the document has not made any declaration that such document is not a proof of identity, address, date of birth or relationship for which such a document is presented.
- (b) Criteria for acceptability of the documents submitted to evidence identity, address, date of birth and relationship:
- (i) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains at least the name and photograph of the individual.
 - (ii) PoI, PoA, PoR and PDB documents submitted for enrolment must be issued in the name of the individual seeking enrolment.
 - (iii) A document is accepted as Proof of Relationship (PoR) document only if it contains at least the name of individual and name of Head of Family (HoF).
 - (iv) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information will be considered for inclusion in the name.
 - (v) Name and date of birth of the individual across all the documents submitted as PoI, PoR and PDB must be uniform.
- (c) Validity period of the Aadhaar issued to the OCI cardholders, Nepal & Bhutan nationals, LTV holders and other foreign nationals is specified below:
- (i) OCI cardholders - ten years.
 - (ii) Nepal/Bhutan nationals - ten years.

(iii) LTV holders - till the validity of LTV.

(iv) Other foreign nationals - till the validity of visa / Registration Certificate or Residential permit issued by FRRO/FRO (as applicable).

List IV -Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for update of information in respect of Aadhaar Number Holder of any age					
✓means allowed and X means not allowed					
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Relationship (PoR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth
1.	Valid Indian Passport	✓	✓	✓	✓ [#]
2.	Ration / PDS Photograph Card / e-Ration Card	✓	✓	✓	X
3.	Voter Identity Card /e-Voter Identity Card, whose details are displayed online on the website of the Election Commission of India or the Chief Electoral Officer concerned	✓	✓	X	X
4.	Driving licence	✓	X	X	X
5.	Service Photo Identity Card issued by Central Government/ State Government/ PSU/ regulatory body / statutory body	✓	✓	X	✓ [#]
6.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body	✓	✓	✓	✓ [#]
7.	Kisan Photo Passbook	✓	✓	X	X
8.	CGHS/ ECHS/ ESIC/ Medi-Claim Card issued by Central Government/ State Government/ PSU	✓	X	X	X
9.	Certificate as per the UIDAI prescribed format, jointly signed and stamped by the Head of Shelter Home registered under RPwD Act, 2016 and the District Social Welfare Officer (DSWO)/Authorized Officer of equivalent rank for disability related matters in the district	✓	✓	X	X
10.	MGNREGA/NREGS Job Card and Domicile Certificate issued by State Government	✓	✓	✓	X
11.	Marriage Certificate with or without photograph issued by Central Government/ State Government (supporting PoI document bearing old name with photograph is required if the Marriage Certificate is without photograph)	✓	✓	✓	X
12.	Divorce Decree issued by family court (supporting PoI document bearing old name with photograph is required if the Divorce Decree is without photograph)	✓	X	X	X

13.	Scheduled Tribe (ST)/ Scheduled Caste (SC)/Other Backward Caste (OBC) Certificate issued by Central Government/ State Government	✓	✓	✓	X
14.	Marksheet/Certificate issued by recognised Board of Education or university or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	✓	X	✓	✓ [#]
15.	Passbook issued by a scheduled commercial bank or a State cooperative bank having Name and Photograph (cross stamped with Bank seal) and signed by bank official/ Post Office Savings Account Passbook (with stamp and signature of issuing official of post office)	X	✓	X	X
16.	Bank Account Statement/ Credit Card Statement (with Bank stamp & signature of issuing bank official)/ Post Office Savings Account Statement (with stamp and signature of issuing official of post office) (not older than 3 months)	X	✓	X	X
17.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 and rules made thereunder <i>(also acceptable for gender and full name change)</i>	✓	✓	✓	✓ [#]
18.	For change in first name or change in full name: Gazette notification	✓	X	X	X
19.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:				
	(i) MP / MLA / MLC / Municipal Councillor	X	✓	X	X
	(ii) Gazetted Officer Group 'A'/ Employees Provident Fund Organisation (EPFO) Officer	X	✓	X	X
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group 'B'	X	✓	X	X
	(iv) Gazetted Officer at National AIDS Control Organisation (NACO)/State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)	✓	✓	X	X
	(v) Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by District Child Protection Officer (DCPO) along with order of placement of child in Child Care Institution (CCI) in Form 18 of the Juvenile Justice Model Rules, 2016 (as amended in 2022)	✓	✓	X	X
	(vi) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned)	X	✓	X	X

	(vii) Village Panchayat Head/ President or Mukhiya/ Gaon Bura/ equivalent authority (for rural areas)/ Village Panchayat Secretary/ Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	X	✓	X	X
20.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	X	✓	X	X
21.	Water bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
22.	Telephone landline bill/ post-paid mobile bill/ broadband bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
23.	Property Tax Receipt (not older than 1 year)	X	✓	X	X
24.	Valid sale agreement/ gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	X	✓	X	X
25.	Gas bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
26.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	X	✓	X	X
27.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	X	✓	X	X
28.	Birth certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and the rules made thereunder	X	X	✓	✓ [#]
29.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer with signature and seal	✓	✓	X	X
30.	Self-declaration from an immediate family member certifying the relationship with the individual residing at the same address. (Valid only for borrowing the address of an immediate family member for address update).	X	X	✓	X
31.	Document to prove legal guardianship issued by the Central government or a State Government authority or a court of law under the relevant Acts (the Guardians and Wards Act, 1890 / the National Trust Act, 1999 / the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) and the rules made under these Acts	X	X	✓	X
Documents applicable for Overseas Citizens of India (OCI) cardholders, Long Term Visa (LTV) holders, nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals					
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (PoI) document, containing name and photograph	Proof of Address (PoA) document, containing name and address in India	Proof of Relationship (PoR) document, containing name of individual and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and date of birth

32.	For OCI cardholders - Valid foreign passport (along with OCI card)	✓	X*	X	✓#
33.	For nationals of Nepal and Bhutan – (a) Passport of Nepal/Bhutan	✓	X*	X	✓#
	(b) Any two of the following documents having the same address may be submitted: (i) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (acceptable as proof of date of birth also) (ii) Valid Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal/ Bhutan (not acceptable as proof of date of birth) (iii) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/ Royal Bhutanese Mission in India (not acceptable as proof of date of birth)	✓	X*	X	✓#
34.	For Long Term Visa holders - Valid Long Term Visa (LTV), issued to minority communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	✓*	X	✓#
35.	For other foreign nationals - Valid foreign passport (along with valid visa)	✓	X*	X	✓#
36.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by Foreigners Regional Registration Office (FRRO) /Foreigners Registration Office (FRO) to the foreign nationals (for special category of foreign nationals not having passport)	✓	✓*	X	✓#

* Proof of Address documents as in the above list will also be applicable.

Note:

- (a) Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely: —
 - (i) It is currently valid
 - (ii) The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
 - (iii) The information contained in the document is verifiable from the source; and
 - (iv) The authority issuing the document has not made any declaration that such document is not a proof of identity, address, date of birth or relationship for which such a document is presented.
- (b) Criteria for acceptability of the documents submitted to evidence identity, address, date of birth and relationship:
 - (i) A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains at least the name and photograph of the individual.
 - (ii) A document is accepted as Proof of Relationship (PoR) document only if it contains at least the name of individual and name of Head of Family (HoF).
 - (iii) PoI, PoA, PoR and PDB documents submitted for update must be issued in the name of the individual seeking update.
 - (iv) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information will be considered for inclusion in the name.
 - (v) Name and date of birth of the individual across all the documents submitted as PoI, PoR and PDB must be uniform.
- (c) Criteria for Head of Family and Proof of Relationship based update:
 - (i) HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based update.
 - (ii) Any one of the parents or the legal guardian can be HoF.

- (iii) Aadhaar number of both the parents is required for HoF based update. In case the child is living with only one parent or living with a legal guardian, the Aadhaar number of only such parent or legal guardian may be given.
- (iv) Biometric authentication by one of the parents or the legal guardian is mandatory.
- (v) The address mentioned in the Aadhaar of HoF will be used for the address in the Aadhaar of the individual.
- (d) #Request for update of date of birth in Aadhaar shall be accepted, in the following manner:
- (i) If date of birth is recorded as declared or approximate:
- a. For resident Indians below 18 years of age: - Aadhaar number holder shall mandatorily submit birth certificate as proof of date of birth.
- b. For Non-Resident Indian (NRI) below 18 years of age: - Aadhaar number holder shall submit birth certificate or Indian Passport as proof of date of birth.
- c. For resident Indians and Non-Resident Indian (NRI) of 18 years and above of age: - Aadhaar number holder shall submit any of the acceptable proof of date of birth documents as specified in the above list.
- (ii) If the Aadhaar number holder had earlier submitted birth certificate as proof of date of birth, the Aadhaar number holder shall submit corrected birth certificate bearing same Birth Registration Number (BRN).
- (iii) If the Aadhaar number holder had earlier submitted any proof of date of birth document except birth certificate (for e.g. Marksheet, Passport etc.), the Aadhaar number holder shall submit corrected version of the same document or submit a birth certificate.
- (iv) In case of date of birth update of woman who has changed her name post-marriage, proof of date of birth documents issued pre-marriage will be accepted along with evidence of name change (for eg. Aadhaar with old name or marriage certificate with both names or any other acceptable PoI document).
- (v) Request for update of date of birth in Aadhaar shall be done only in accordance with standard operating procedure issued in that regard [@].
- (e) Request for update of name and gender in Aadhaar beyond the limits prescribed in Regulation 19 (3), update of such information shall be done only in accordance with the process as specified below:
- (i) Name – [\$]
- (ii) Gender – [\$]
- (f) In case of child (0-18 years) having name as “Baby of ...” in Aadhaar, the first update request for full name change shall be allowed by submission of Birth certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and the rules made thereunder.
- (g) Head of Family (HoF) based minor updates in name (viz. addition/ deletion/ change in surname, change in spelling owing to phonetics, expansion/ abbreviation provided the primary name remains unchanged) of a minor (below 18 years of age) shall be permitted based on “Birth Certificate” or “document to prove legal guardianship” bearing the revised name.
- (h) Head of Family (HoF) based address update of Aadhaar may be used in case individual does not have PoA documents.

RAHUL KUMAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./74/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 14th September, 2016, *vide* notification number 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated the 12th September, 2016, and were last amended *vide* Notification number HQ-16021/2/2021-EU-II-HQ (E-6538), dated the 25th November, 2025, published on the 25th November, 2025.